बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–50/2024(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..

डॉ0 विपिन कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सासाराम, रोहतास के विरूद्ध दिनांक–18.09.2019 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–711(9) दिनांक–30.06 2023 एवं संशोधित संकल्प सं0–940(9) दिनांक–04.09 2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) मे आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक–539(9) दिनांक–10.07 2024 द्वारा डॉ0 सिन्हा से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे अपनी विवशता के कारण दिनांक–19 09 2019 से 22.11.2021 तक अपने कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा परिस्थिति जनित साक्ष्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वे दिनांक–24 11.2021 से कर्त्तव्य पर नियमित रूप से उपस्थित हैं। सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक–55 दिनांक–04.01.2023 द्वारा सूचित है कि डा0 सिन्हा दिनांक–24.11.2021 से कर्त्तव्य पर नियमित रूप से उपस्थित हैं। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन एव डा0 सिन्हा से प्राप्त प्रत्युत्तर के सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनका स्वीकारोक्ति है, वे निजी कारणो से दिनांक–19.09 2019 से 22 11.2021 तक कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। उनके कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने से चिकित्सीय कार्य प्रभावित होने से इनकार नही किया जा सकता है। फलतः सम्यक् समीक्षोपरान्त डा0 सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. विभागीय पत्रांक–909(9) दिनांक–06.08.2025 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2784 दिनांक–26.09.2025 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

5. अतएव डॉ0 विपिन कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सासाराम, रोहतास के विरूद्ध संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–50/2024(स्वा0) 1320(9) **/ पटना, दिनांकः–** 31.12.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

31/12/2025

07.1.26

प्रतिलिपि:–डॉ0 विपिन कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सासाराम, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3/12/2025

सरकार के अवरसचिव।